झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–31 / 2022– 292 **व०प०, राँची, दिनांक–** 27/01/2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची–834002।

विषय :– मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि0 द्वारा चतरा जिला अंतर्गत नार्थ कर्णपूरा (टंडवा) से गया तक 400 के0भी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे0 (चतरा उत्तरी–61.772 हे0, चतरा दक्षिणी–119.8806 एवं लातेहार–15.3589 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–996 दिनांक–28.09.2022 एवं पत्रांक–1209 दिनांक–29.11.2022 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्व चिन्हित 394.778 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) प्रस्ताव के संबंध में वन संरक्षक, चतरा द्वारा समर्पित Site Inspection Report में प्रस्तावित शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्य होगा।

(v) CWLW के मंतव्य के आलोक में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

27/1/2023

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–31 / 2022– 292 व०प०, राँची, दिनांक– 27/01/2023

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/2023
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–31 / 2022– 292 व०प०, राँची, दिनांक– 27/01/2023

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / सहायक प्रबंधक, नार्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड, सुनिता सदन प्रथम तल्ल, आश्रम मार्ग, मिलेट्री फायरिंग रेंज के नजदीक, राँची–834009 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/2023
उप परामर्शी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 197.0115 ha of Forest Land for construction of 400 KV D/C North Karanpura to Gaya Transmission Line under Latehar, Chatra East & West Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 197.0115 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-292--- dated-27/01/2023.

27/1/2023

Rajdeep Sanjay Lal John
Additional Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Ranchi
(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 1209 दिनांकः– 29.11.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि0 द्वारा चतरा जिला अंतर्गत नार्थ कर्णपूरा (टंडवा) से गया तक 400 के0भी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे0 (चतरा उत्तरी–61.772 हे0, चतरा दक्षिणी–119.8806 एवं लातेहार–15.3589 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक 3134 दिनांक 20.10.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु वांछित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1377 दिनांक 25.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ इस कार्यालय के पत्रांक 996 दिनांक 28.09.2022 के क्रम में संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

29.11.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

29.11.22

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 1209
30 NOV 2022
झारखण्ड, राँची।

10492
01/12/2022

(24)

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

Email: pccf-wildlife@gov.in,Phone No. 0651-2481744

आवती सं० 3196
दिनांक 28/11/22

पत्रांकः– 1377 दिनांकः– 25/11/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

कैमुद्दीन मियाँ

विषयः– मेसर्स नार्थ कर्णपुरा ट्रान्सको लि0 द्वारा चतरा जिला अंतर्गत नार्थ कर्णपूरा (टंडवा) से गया तक 400 के0भी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे0 (चतरा उत्तरी– 61.772 हे0, चतरा दक्षिणी– 119.8806 हे0 एवं लातेहार– 15.3589 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

25.11.2022

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक 996 दिनांक 28.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का कार्यालय पत्रांक 2132 दिनांक 20.10.2022 (छायाप्रति संलग्न– अनु0– 1), क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का कार्यालय पत्रांक 2386 दिनां 21.10.2022 (छायाप्रति संलग्न– अनु0– 2) तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में अंकित सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नलिखित हैः–

1. प्रस्तावित अपयोजन भूमि के इर्द–गिर्द वन्यजीवों का आवागमन होने की स्थिति में तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृश्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिप्रेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा। प्लान में दिनांक 31.12.2021 को आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 66 वीं बैठक में NBWL द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/ वनों की भूमि के प्रबंधन के मामलों में लिए गए निर्णयों का सार (MoEF&CC F-No-6&141/2021WL दिनांक 1 फरवरी 2022 द्वारा परिचालित) विशेषकर हाथियों की सुरक्षा के विचारों एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआईआई, देहरादून द्वारा जारी मानक एसओपी/ दिशानिर्देशों के प्रावधानों के पालन सहित परियोजना की स्वीकृति की अवधारणा में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
2. परियोजना हेतू राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 66 वीं बैठक दिनांक 31.12.2021 में NBWL द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वनों की भूमि के प्रबंधन के मामलों में लिए गए निर्णयों के सार (MoEF&CC F-No- 6&141/2021WL दिनांक 1 फरवरी 2022 द्वारा परिचालित) विशेषकर ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में वन्यजीवों/हाथियों को आकस्मिक इलेक्ट्रोक्यूशन से बचाने के लिए बिजली लाइनों के सबसे निचले कंडक्टर या ग्राउंडिंग तारों (अर्थात अधिकतम शिथिलता बिंदु पर) के सबसे निचले बिंदु पर विभिन ढलान वाली जमीन से ऊपर की ऊंचाई और अन्य एरोबोरियल प्रजातियों को इलेक्ट्रोक्यूशन से सुरक्षित रखने संबंधित निर्णय अनुसार सुनिश्चित करने तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रैखिक परियोजनाओं के लिए Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco&Friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife (2016)" द्वारा जारी मानक एसओपी/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के पालन सहित परियोजना की स्वीकृति की अवधारणा में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. वन्यप्राणियों विशेषकर हाथियों के संभावित electrocution से बचाव के लिए ABC cable (insulated Aerial Bundled Cable) का प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।
4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्रों पर विषय वस्तु विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के माध्यम से पारिस्थितिकी, और वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर परियोजना के संभावित प्रभाव का आकलन किए जाना अपेक्षित होगा। यह landscape areas में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है और इस हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा rare/endangered/unique species of flora and fauna को Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा दी गयी list of threatened plant species endemic to region और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव–जंतु, लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।
5. इस परिदृश्य को देखते हुए की परियोजना क्षेत्र के आसपास वन्यजीवों के आवासों के गंभीर विखंडन के कारण हाथियों की आवाजाही के क्षेत्र पहले ही प्रतिबंधित हो गए हैं और हाथियों की आबादी झारखंड में नए क्षेत्रों में फैल रही है। इसलिए संघर्ष क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा भी विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी। यह मानव–हाथी सह–अस्तित्व क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देकर किया जा सकता है ताकि परियोजना क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव शमन उपायों के माध्यम से हाथियों के साथ–साथ मानव के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।
6. उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सहायता से, परियोजना प्रस्ताव क्षेत्र के प्रभावित होने वाले क्षेत्र हेतु हाथियों और मानव–हाथी सह–अस्तित्व क्षेत्र के प्रबंधन के लिए विशेष रणनीतिक कार्य योजना और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों व जीव–जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों और पड़ने वाले संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव सहित ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat Fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पडने के परिपेक्ष्य में Project Cost पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में एक "एकीकृत साइट विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण, प्रबंधन और शमन योजना" तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

अनु0– यथोक्त।

25/11/22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी,
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

25/11/22